संख्या- 47/781/24-1-2016-96/2015 टी0सी0-।।

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2016**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2015-16 में विद्युत विकास योजना (आई0पी0डी0एस0) के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृत जारी किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-912/म0म0प्र0(वित्त)/विप्र-1/399/2015-16, दिनांक 16.03.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण विभाग के बजट में अनुदान संख्या-83 के दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कार्यों हेतु अंशपूँजी के लेखाशीर्ष- 4801-06-789-07-30 में प्राविधानित धनराशि रूपये 20,00,00,000/- (रूपये बीस करोड़ मात्र) में से समन्वित विद्युत विकास योजना (आई0पी0डी0एस0) के अन्तर्गत वितरण कार्यों हेतु अंशपूँजी के लेखाशीर्ष- 4801-05-789-05-30 के लिए धनराशि रूपये 14,28,00,000/- (रूपये चौदह करोड़ अठ्ठाईस लाख मात्र) को प्रपत्र बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग करते हुए पुस्तक समायोजन किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- उपरोक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृति धनराशि का आहरण नकद न करके पुस्तक समायोजन द्वारा किया जायेगा।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-05-संचरण तथा वितरण-789-अनु सूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05- समन्वित विद्युत विकास योजना (आई0पी0डी0एस0) के अन्तर्गत वितरण कार्यों हेतु अंशपूँजी-आयोजनागत-30- निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा तथा अवमुक्त की गयी धनराशि को लेखाशीर्षक- 0801 - बिजली - 06 - ग्रामीण विद्युतीकरण - 800 - अन्य प्राप्तियाँ -01 - ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अंशपूँजी हेतु भारत सरकार से प्राप्ति के अन्तर्गत जमा की जायेगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-10-यू0ओ0- 79 /दस-2016, दिनांक 31 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

सुरेश कुमार शर्मा
विशेष सचिव।

संख्या- /781(1)/24-1-16, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण/ कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ राज्य योजना आयोग अनुभाग-1
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार शर्मा
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in